इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic. in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 नवम्बर 2022—कार्तिक 27, शक 1944

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2022

क्र. 1924-863151-2022-ए-सोलह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 233 एवं 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश श्रम न्यायिक (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3 में, उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(1-क) श्रम न्यायाधीश किसी विशेष ग्रेड में पांच वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने की दिनांक से वहीं सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन वेतनमान प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसा कि मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 के नियम 3 के अनुसार न्यायिक अधिकारी को लागू होगा.".

No. 1924-863151-2022-A-XVI.—In exercise of the power conferred by Article 233 and 234 read with the proviso to Aricle 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh, Labour Judicial (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, namely,—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 3, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely;—

"(1-A) Labour Judges shall be entitle to get the same Assured Career Progression Scale from the date of completion of five years continuous service in a particular grade as applicable to the Judicial Officers as per rule 3 of the Madhya Pradesh Judicial Service(Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1994.''.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.